IJCRM
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

निजता के अधिकार: एक विवेचनात्मक अध्ययन

अभिषेक यादव[1*]

[1]शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

Corresponding Author: ***अभिषेक यादव**

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10686091

सारांश

अंशक: निजता एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अधिकार है जो व्यक्ति को उनकी व्यक्तिगत और सांविदिक जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार के महत्व को समझते हुए, यह अध्ययन निजता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करता है, उनके उत्थान, पतन, और विकास की प्रक्रिया को समझते हुए। यह अध्ययन अन्याय, सरकारी उपाय, और न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निजता के अधिकार के मुद्दों की प्रकृति और महत्व को उजागर करता है।

यह अध्ययन निजता के अधिकार की परिभाषा और प्रमाणीकरण के साथ-साथ, निजता के अधिकार के लिए विभिन्न मानकों और नियमों की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह अध्ययन निजता के अधिकार के लिए भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों की विस्तृत जाँच करता है। अंत में, यह अध्ययन निजता के अधिकार की संरक्षण के लिए नीतिगत प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

यह अध्ययन निजता के अधिकार के महत्वपूर्ण और गहरे ज्ञान को उजागर करता है और समाज में उनकी संरक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए आवश्यक जागरूकता पैदा करता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 13-01-2023
- **Accepted:** 18-02-2023
- **Published:** 21-02-2024
- **IJCRM:**3(1);2024:168-174
- **©2024, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Manuscript

अभिषेक यादव. निजता के अधिकार: एक विवेचनात्मक अध्ययन. International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary. 2024; 3(1): 168-174.

कूट शब्द: द राइट टू प्राइवेसी, वेस्टिन, निजता के अधिकार, गोपनीयता, सर्वोच्च न्यायालय

प्रस्तावना

निजता के अधिकार की सबसे उद्धृत परिभाषाओं में से एक सैमुअल डी. वॉरेन और लुईस डी. ब्रैंडिस द्वारा उनके प्रसिद्ध 1890 के हार्वर्ड लॉ रिव्यू लेख, "द राइट टू प्राइवेसी" में दी गई है। उन्होंने गोपनीयता को इस प्रकार परिभाषित किया:

"अकेले रहने का अधिकार; अधिकारों में सबसे व्यापक, और सभ्य पुरुषों द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अधिकार।"

यह परिभाषा, हालांकि एक शताब्दी से अधिक पुरानी है, व्यक्तिगत स्थान और स्वायत्तता के महत्व पर जोर देते हुए, मौलिक मानव अधिकार के रूप में गोपनीयता के सार को पकड़ती है। वॉरेन और ब्रैंडिस ने निजी जीवन में समाचार पत्रों और तस्वीरों की बढ़ती पहुंच के जवाब में इस अवधारणा को व्यक्त किया, जिसमें दिखाया गया कि प्रौद्योगिकी के साथ-साथ गोपनीयता के बारे में चिंताएं कैसे विकसित हुई हैं। उनके काम ने गोपनीयता पर कानूनी और दार्शनिक चर्चा के लिए आधार तैयार किया जो आज भी जारी है।

एलन वेस्टिन गोपनीयता अध्ययन में अग्रणी एलन वेस्टिन ने अपनी 1967 की पुस्तक "प्राइवेसी एंड फ्रीडम" में गोपनीयता को इस प्रकार परिभाषित किया है:

"व्यक्तियों, समूहों या संस्थानों का यह स्वयं निर्धारित करने का दावा कि उनके बारे में जानकारी दूसरों को कब, कैसे और किस हद तक संप्रेषित की जाती है।"

© 2024 अभिषेक यादव. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

वेस्टिन की परिभाषा व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण पर जोर देती है, जो डिजिटल युग में तेजी से प्रासंगिक हो गई है।

न्यायमूर्ति लुई ब्रैंडिस और सैमुअल वॉरेन के साथ प्रसिद्ध हार्वर्ड लॉ रिव्यू लेख से पहले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, लुईस ब्रैंडिस ने 1928 में ओल्मस्टेड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में गोपनीयता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था, जिसमें सहमति व्यक्त की गई थी:

"अकेले रहने का अधिकार - अधिकारों में सबसे व्यापक और सभ्य पुरुषों द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अधिकार।"

गोपनीयता की कोई निश्चित कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ कानूनी विशेषज्ञ गोपनीयता को प्रत्येक मनुष्य द्वारा उसके अस्तित्व के आधार पर प्राप्त मानवाधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं। यह किसी उपकरण या चार्टर पर निर्भर नहीं है। गोपनीयता अन्य पहलुओं तक भी विस्तारित हो सकती है, जिसमें शारीरिक अखंडता, व्यक्तिगत स्वायत्तता, सूचनात्मक आत्मनिर्णय, राज्य निगरानी से सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता, मजबूर भाषण और असहमति या स्थानांतरित करने या सोचने की स्वतंत्रता शामिल है। संक्षेप में, निजता का अधिकार मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। गोपनीयता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत कानूनी ढांचा प्राप्त है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 12 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर), 1966 का अनुच्छेद 17, किसी की निजता, परिवार, घर, पत्राचार, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ "मनमाने हस्तक्षेप" के खिलाफ कानूनी रूप से व्यक्तियों की रक्षा करता है। 1

निजता के अधिकार का संक्षिप्त इतिहास

निजता के अधिकार की परिकल्पना सीधे तौर पर संविधान निर्माताओं द्वारा नहीं की गई थी और इसलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग III में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। न्यायपालिका ने इस मामले पर विचार-विमर्श किया है और शुरुआत से ही गोपनीयता की व्याख्या की है। हालाँकि, संविधान लागू होने के ठीक चार साल बाद, 1954 में सुप्रीम कोर्ट को निजता के सवाल से निपटना पड़ा। एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्रा मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता की तुलना में तलाशी और जब्ती की प्रथा के पक्ष में फैसला दिया।

1962 में, खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य (एआईआर 1963 एससी 1295) मामले में निर्णय देते समय, न्यायालय ने हिस्ट्रीशीटरों के संबंध में पुलिस निगरानी की शक्ति की जांच की और पुलिस के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि निजता का अधिकार संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार नहीं है।

यह 1975 था जो भारत में निजता के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने गोबिंद बनाम एमपी राज्य और एएनआर [1975 एससीसी(2) 148] मामले की सुनवाई करते हुए अमेरिकी न्यायशास्त्र से सम्मोहक राज्य हित परीक्षण पेश किया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार को बड़े राज्य हित के लिए रास्ता देना होगा, जिसकी प्रकृति ठोस होनी चाहिए। समय के साथ, गोपनीयता के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और इसमें मेडिकल रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक्स जैसे व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा शामिल हो गए हैं।

1997 में पीयूसीएल बनाम भारत संघ के मामले में, जिसे आमतौर पर टेलीफोन टैपिंग मामलों के रूप में जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि व्यक्तियों को अपने टेलीफोन संचार की सामग्री में गोपनीयता का हित था। इस प्रकार, मामलों की एक श्रृंखला के माध्यम से, यह देखा जा सकता है कि गोपनीयता के अधिकार को मान्यता दी जा रही थी, लेकिन इसके अपवादों को भी उचित स्थान दिया गया था।

21वीं सदी के दूसरे दशक में, निजता के अधिकार के संबंध में प्रश्न आधार पर केंद्रित हो गए हैं, एक सरकारी योजना जिसमें निवासियों को अपने बायोमेट्रिक्स जैसे उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन और जनसांख्यिकीय विवरण देने के बाद एक अद्वितीय आईडी मिलती है। आधार को गोपनीयता के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती दी गई थी और सितंबर 2013 में अपने आदेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इसके उपयोग को सीमित कर दिया था, आधार को केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एलपीजी सब्सिडी में अनुमति दी गई थी। हालाँकि, अक्टूबर 2015 में, इसने अपने आदेश में संशोधन किया और कहा कि आधार का उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री जन-धन योजना, पेंशन और भविष्य निधि योजनाओं जैसी सेवाएं देने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आधार का उपयोग नहीं करना चाहिए। आधार के अभाव में किसी भी सेवा से वंचित"

गोपनीयता से संबंधित घरेलू कानून

भारत का संविधान विशेष रूप से निजता के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। हालाँकि, वर्षों से विभिन्न निर्णयों के माध्यम से देश के न्यायालयों ने संविधान में अन्य अधिकारों की व्याख्या निजता के (सीमित) अधिकार को जन्म देने के रूप में की है - मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 के माध्यम से - जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। 2015 में, इस व्याख्या को चुनौती दी गई थी और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका [रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012]* में इसे सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था।

न्यायालय ने 24 अगस्त, 2017 को एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि निजता एक मौलिक अधिकार है, और निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है, जो कि भाग द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। संविधान का तृतीय. बेंच ने यह भी फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि उचित प्रतिबंधों के अधीन है (जैसा कि हर दूसरे मौलिक अधिकार है)।

संसद में गोपनीयता विधेयक

इस विषय पर कुछ निजी सदस्यों के विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश किये गये। हाल ही में, श्री बैजयंत पांडा (बीजेडी) द्वारा संसद में गोपनीयता को कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव करते हुए एक विधेयक पेश किया गया था। डेटा (गोपनीयता और संरक्षण) विधेयक, 2017 के माध्यम से उनका नवीनतम प्रयास लोकसभा के समक्ष लंबित है।

© 2024 अभिषेक यादव. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

एक और विधेयक, अर्थात् निजता का अधिकार विधेयक, 2010, श्री राजीव चन्द्रशेखर द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। नागरिकों के निजी डेटा को सुरक्षित करने के लिए दो और विधेयक 2016 में राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद श्री विवेक गुप्ता और लोकसभा में भाजपा सांसद श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा पेश किए गए थे। लेकिन, इनमें से किसी भी विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिली है।

गोपनीयता पर मौजूदा कानून

गोपनीयता पर एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति में, इस अधिकार को कानूनी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत देखा जाता है। अधिनियम में कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन के खिलाफ व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान हैं। 2008 में धारा 43 ए जोड़ने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा से समझौता करने वाली कंपनियों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था।

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 43ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने किसी व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए आठ नियम बनाए। ये सभी व्यक्तियों के गोपनीयता डेटा तक पहुंचने से पहले किसी कंपनी द्वारा अनुमति लेने और उसके उल्लंघन के लिए देनदारियां तय करने से संबंधित हैं।'

अन्य देशों में निजता का अधिकार

निजता का अधिकार पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों में कई विवादों में सबसे आगे आया है, अधिकांश मामलों में इसकी स्पष्ट परिभाषा अस्पष्ट रही है।

जर्मनी

जर्मनी गोपनीयता कानूनों को लागू करने वाले सबसे सख्त देशों में से एक बना हुआ है। दरअसल हाल के दिनों में जर्मनी में निजता कानून ने इंटरनेट की आजादी के आधार पर चलने वाले फेसबुक और गूगल जैसे संगठनों को काफी परेशानी पहुंचाई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

जबकि अमेरिकी संविधान में निजता के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उदाहरणों पर यह बताने के लिए विभिन्न संशोधनों की व्याख्या की है कि अधिकार मौजूद है। विशेष रूप से 1974 गोपनीयता अधिनियम नागरिकों को उनके रिकॉर्ड का मनमाने ढंग से उपयोग करने वाली किसी भी संघीय एजेंसी से बचाने के इरादे से पारित किया गया था।

कनाडा

पहली बार 1977 में कनाडाई मानवाधिकार अधिनियम के हिस्से के रूप में लाया गया, कनाडा में गोपनीयता कानून समय के साथ विकसित हुआ है। प्रारंभ में, कानून को डेटा सुरक्षा के साधन के रूप में पेश किया गया था। 1983 में, सरकार व्यक्तिगत जानकारी तक कैसे पहुंच सकती है और उसका खुलासा कैसे कर सकती है, इसकी जांच को शामिल करने के लिए कानून का विस्तार किया गया था। पिछली बार गोपनीयता कानून को 2012 में फिर से परिभाषित किया गया था जब कनाडा सरकार ने कहा था कि आम कानून व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार को "एकांत में घुसपैठ का अत्याचार" के रूप में मान्यता देता है।

स्वीडन

अपने नागरिकों को एक व्यक्तिगत पहचान संख्या देने के लिए दुनिया के पहले देशों में से एक होने के बावजूद, स्वीडन राज्य के साथ हर बातचीत में उपयोग करने के लिए आवश्यक है, स्वीडन ऑनलाइन गोपनीयता कानूनों पर एक विस्तृत क़ानून रखने वाले पहले देशों में से एक है। डेटा अधिनियम, 1973 कंप्यूटर पर व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता की रक्षा करता है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार स्वीडिश संविधान में भी मिलता है।

यूरोपीय संघ

1995 में यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया डेटा संरक्षण निर्देश यूरोपीय संघ के भीतर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन (ईसीएचआर) का अनुच्छेद 8 कुछ प्रतिबंधों के अधीन किसी के निजी और पारिवारिक जीवन की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

ऑस्ट्रेलिया

देश का अपना 'गोपनीयता अधिनियम' है जो 1988 के आसपास अस्तित्व में आया। यह व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी के प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

जापान

2015 में, जापान ने नागरिक पहचान की एक प्रणाली अपनाई जो व्यक्तिगत कर जानकारी, सामाजिक सुरक्षा और आपदा राहत लाभों को एकजुट करती है। कानून ने सभी जापानी नागरिकों और विदेशी निवासियों को 12 अंकों का 'मेरा नंबर' दिया।इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और सामाजिक कल्याण लाभों को अधिक कुशल बनाना था, साथ ही कर चोरी और लाभ धोखाधड़ी को कम करने में मदद करना था। यह पहले 2018 से स्वैच्छिक होगा लेकिन 2021 तक अनिवार्य हो सकता है। जापानी कानून अपने आप में स्पष्ट रूप से निजता का अधिकार प्रदान नहीं करता है। लेकिन इस अधिकार को जापानी संविधान के अनुच्छेद 13 में पढ़ा जाता है जो "जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज" का अधिकार और लोगों को "व्यक्ति के रूप में सम्मानित" होने का अधिकार प्रदान करता है।

ब्राज़ील

देश के संविधान में कहा गया है, "लोगों की अंतरंगता, निजी जीवन, सम्मान और छवि अनुल्लंघनीय है, इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप मातृ या नैतिक क्षति से क्षतिपूर्ति का सुनिश्चित अधिकार है।"

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:-

गोपनीयता और सरकारी निगरानी पर बहस भारत के लिए अनोखी नहीं है; यह एक वैश्विक चिंता का विषय है. निगरानी के संबंध में विभिन्न देशों में अलग-अलग कानूनी ढांचे और सामाजिक मानदंड हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों पर जोर देते हुए डेटा संग्रह और प्रसंस्करण पर सख्त सीमाएं निर्धारित करता है। इसके विपरीत, अन्य

© 2024 अभिषेक यादव. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

देश राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अपनी सरकारों को अपेक्षाकृत व्यापक निगरानी शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकियों के युग में, न्यायालय ने व्यक्तियों की सूचनात्मक गोपनीयता को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचाना। हालाँकि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है, किसी भी प्रतिबंध के लिए कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होगा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को नागरिकों की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तंत्र लागू करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा का उपयोग केवल अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए न कि निगरानी के लिए।

संक्षेप में, जबकि सरकारी निगरानी कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है, इसे निजता के मौलिक अधिकार का सम्मान करते हुए कानून की सीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। इन हितों को संतुलित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि निगरानी प्रथाएं सख्त कानूनी मानकों, निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र के अधीन हैं।

गोपनीयता और सर्वोच्च न्यायालय-:

निम्नलिखित सात मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को बरकरार रखा था:

1964	खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1963 एअर एससी 1295)	निगरानी गोपनीयता में हस्तक्षेप करती है: जब गोपनीयता की बात आती है तो यह मामला भारत में सबसे अधिक उद्धृत मामलों में से एक है। यहां छह न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत ने माना कि घर में गैरकानूनी घुसपैठ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
1997	पीयूसीएल बनाम भारत संघ (एआईआर 1997 एससी 568	टेलीफोन टैपिंग निजता पर हमला है: एक खंडपीठ ने माना कि टेलीफोन पर बातचीत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभ्यास है, और टेलीफोन टैपिंग गोपनीयता पर हमला है
1998	एमआरएक्स बनाम हॉस्पिटलज़ (1998 (8) एससीसी	गोपनीयता पूर्ण नहीं है: मामला एक डॉक्टर द्वारा मरीज की एचआईवी स्थिति का खुलासा करने से संबंधित है। एक खंडपीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं है। एक डॉक्टर मरीज की एचआईवी स्थिति का खुलासा उसके साथी को कर सकता है
2008	हिंसा विरोधी संघ बनाम मिर्ज़ापुर मोती कुरेश जमात (AIR 2008 SC 1892)	भोजन का चयन व्यक्तिगत: एक खंडपीठ ने जैन पर्युषण त्योहार के दौरान अहमदाबाद में बूचड़खानों को बंद करने को बरकरार रखा। यह भी देखा गया कि कोई जो खाता है वह उसकी निजता के अधिकार का हिस्सा है
2009	जमीरुद्दीन अहमद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2008 की आपराधिक अपील संख्या 1535)	बिना कारण के छापेमारी ठीक नहीं: एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि वैध कारण दर्ज किए बिना तलाशी/जब्ती करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
2011	राम जेठमलानी और अन्य बनाम भारत संघ (2011) 8 एससीसी 1	वैध आधार के बिना बैंक विवरण का खुलासा नहीं कर सकते: लोकप्रिय रूप से "काला धन मामला" के रूप में जाना जाता है, यहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति पर गलत काम करने का आरोप लगाने के लिए आधार स्थापित किए बिना उसके बैंक खाते के विवरण का खुलासा करना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
2012	उच्चतम न्यायालय ने रामलीला मैदान घटना पर स्वत: संज्ञान लिया	सोने का अधिकार निजता के अधिकार का हिस्सा है: सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के नेतृत्व में रामलीला मैदान में डेरा डाले हुए भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई का स्वत: संज्ञान लिया।

'निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला'

मुख्य न्यायाधीश जे.एस. की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ खेहर ने 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आंतरिक हिस्सा है" और अनुच्छेद 21 के तहत और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। नौ-न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आम निष्कर्ष को पढ़ते हुए बेंच, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट ने क्रमशः 1954 और 1961 में एम.पी. शर्मा और खड़क सिंह मामलों में दिए गए अपने आठ जजों वाली बेंच और छह जजों वाली बेंच के फैसलों को खारिज कर दिया था कि निजता संविधान के तहत संरक्षित नहीं है, इन दो मिसालों को दूर करने के लिए, पांच -मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अगुवाई वाली न्यायाधीश पीठ ने इस सवाल को संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा था कि क्या निजता एक मौलिक अधिकार है या नहीं।"

यह फैसला अब बायोमेट्रिक पहचान परियोजना आधार की वैधता का परीक्षण कर सकता है। फैसला जारी करते हुए, नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के बराबर है, और यह फैसला राज्य द्वारा घुसपैठ से नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करेगा।

न्यायमूर्ति के.एस. पर फैसले के मुख्य निष्कर्ष पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका सिविल संख्या 2012 की 494):

1. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अविभाज्य अधिकार हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व से अविभाज्य हैं। व्यक्ति की गरिमा, मनुष्यों के बीच समानता और स्वतंत्रता की तलाश भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभ हैं;
2. निजता के संवैधानिक अधिकार के अस्तित्व की न्यायिक मान्यता संविधान में संशोधन की प्रकृति की कोई कवायद नहीं है और न ही न्यायालय उस प्रकृति का कोई संवैधानिक कार्य शुरू कर रहा है जिसे संसद को सौंपा गया है;

© 2024 अभिषेक यादव. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3. गोपनीयता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन अभिविन्यास शामिल है। गोपनीयता का तात्पर्य अकेले छोड़े जाने के अधिकार से भी है।
4. जीवन के तरीके को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत विकल्प गोपनीयता में अंतर्निहित हैं।
5. व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर होने मात्र से गोपनीयता नष्ट या समर्पित नहीं हो जाती। गोपनीयता व्यक्ति से जुड़ती है क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है;
6. तकनीकी परिवर्तन ने उन चिंताओं को जन्म दिया है जो सात दशक पहले मौजूद नहीं थीं और प्रौद्योगिकी की तीव्र वृद्धि वर्तमान की कई धारणाओं को अप्रचलित बना सकती है। इसलिए संविधान की व्याख्या लचीली और लचीली होनी चाहिए ताकि भावी पीढ़ियों को इसकी बुनियादी या आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी सामग्री को अपनाने की अनुमति मिल सके।
7. अन्य अधिकारों की तरह, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सहित भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, गोपनीयता एक पूर्ण अधिकार नहीं है। जो कानून निजता का अतिक्रमण करता है, उसे मौलिक अधिकारों पर अनुमेय प्रतिबंधों की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
8. गोपनीयता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सामग्री होती है। नकारात्मक सामग्री राज्य को किसी नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने से रोकती है। इसकी सकारात्मक सामग्री राज्य पर व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व डालती है।
9. निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के आंतरिक क्षेत्र को राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं दोनों के हस्तक्षेप से बचाता है और व्यक्तियों को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति देता है।
10. घर की गोपनीयता को परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास की रक्षा करनी चाहिए जो गरिमा के सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं।
11. हमारे जैसे देश में जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जिसे राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं दोनों के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए और इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
12. निजता के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही आबादी का एक छोटा सा हिस्सा प्रभावित हो। बहुसंख्यकवादी अवधारणा संवैधानिक अधिकारों पर लागू नहीं होती।
13. निजता का अधिकार, एक अंतर्निहित अधिकार, स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के भाग-III में अंतर्निहित एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उस भाग से संबंधित निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन है। यही आज की पुकार है. पुराना आदेश बदला नए को जगह देना।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, श्री न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल, श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की ओर से निर्णय डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा सुनाया गया। अन्य न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसले दिये।

संदर्भ का निपटान निम्नलिखित शर्तों में किया जाता है:

(i) |एम पी शर्मा के फैसले को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है;

(ii) खड़क सिंह मामले में निर्णय इस हद तक खारिज कर दिया गया है कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है;

(iii) निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है।

(iv) खड़क सिंह के बाद के निर्णय जिन्होंने ऊपर (iii) में स्थिति स्पष्ट की है, कानून में सही स्थिति निर्धारित करते हैं।

फैसले के निहितार्थ

निजता को जीवन और स्वतंत्रता के लिए आंतरिक और संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित एक अंतर्निहित अधिकार घोषित करने वाले नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का ऐतिहासिक नतीजा यह है कि एक सामान्य व्यक्ति अब उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकता है। संविधान के तहत उनका मौलिक अधिकार।

अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता को जीवन और स्वतंत्रता का आंतरिक हिस्सा बनाकर, न केवल एक नागरिक, बल्कि कोई भी, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या नहीं, न्याय पाने के लिए क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत देश की संवैधानिक अदालतों में जा सकता है। यह घोषित करके कि संविधान के भाग III में प्रत्येक मौलिक स्वतंत्रता में गोपनीयता अंतर्निहित है, सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता को अन्य महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रताओं का एक अनिवार्य घटक बना दिया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति, धर्म और असंख्य अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और व्यवस्था के उचित प्रतिबंधों के अधीन गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए आवश्यक मौलिक अधिकार।'

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

भारत में डेटा संरक्षण अधिनियम बनाने की दिशा में यात्रा एक व्यापक रही है। प्रारंभ में, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018, संसद में पेश किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव था। ड्राफ्ट बिल को अपनी उस शर्त के कारण विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके तहत डेटा फ़िडुशियरीज को भारत के भीतर ग्राहक जानकारी की कम से कम एक सेवारत प्रति संग्रहीत करने की आवश्यकता थी, जिसका उद्देश्य डेटा तक कानून प्रवर्तन पहुंच को सरल बनाना था।

हालाँकि, इस प्रावधान ने गोपनीयता के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा कर दीं, क्योंकि यह राज्य को व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए व्यापक पहुंच की अनुमति देगा,

© 2024 अभिषेक यादव. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

बिल के नियामक ढांचे की इसकी सीमित स्वतंत्रता के लिए आलोचना की जा रही है, जो बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार के तत्वावधान में काम कर रहा है।

इसके बाद, बिल के दो अतिरिक्त संस्करण 2019 और 2021 में संसद में प्रस्तुत किए गए। फिर भी, इन्हें भी वापस ले लिया गया, जिसमें आलोचकों ने भारतीय नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा

के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने में उनकी विफलता पर ध्यान केंद्रित किया।

अंततः, विधायी प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) के अधिनियमन के साथ समाप्त हुई। यह नया कानून एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो व्यक्तियों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति पेश करता है।

विधेयक के प्रमुख बिंदु

1. विधेयक में भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण शामिल है, जिसमें ऑनलाइन या ऑफ़लाइन एकत्र किया गया डेटा भी शामिल है जिसे डिजिटलीकृत किया गया है। इसके अलावा, इसका विस्तार भारत के बाहर ऐसे डेटा के प्रसंस्करण तक है, बशर्ते यह देश के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित हो।
2. व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिए और व्यक्ति की सहमति से ही संसाधित किया जा सकता है। हालाँकि, कुछ वैध उद्देश्यों के लिए सहमति आवश्यक नहीं है, जैसे कि जब व्यक्ति स्वेच्छा से अपना डेटा साझा करते हैं, या जब राज्य परमिट, लाइसेंस जारी करने, लाभ प्रदान करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए डेटा संसाधित करता है।
3. डेटा फ़िडुशियरीज़ को डेटा सटीकता सुनिश्चित करने, डेटा की सुरक्षा करने और अपना इच्छित उद्देश्य पूरा होने पर डेटा को हटाने का काम सौंपा जाता है।
4. विधेयक व्यक्तियों को कई अधिकारों के साथ सशक्त बनाता है, जिसमें जानकारी तक पहुंचने, सुधार और हटाने का अनुरोध करने और शिकायतों का निवारण करने का अधिकार शामिल है।
5. केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने जैसे कारणों से कुछ सरकारी एजेंसियों को विधेयक के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार है।
6. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन न करने की घटनाओं को संबोधित करने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रमुख मुद्दे

प्रस्तावित डेटा सुरक्षा ढांचे के प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण से चिंता के संभावित क्षेत्रों का पता चलता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

राज्य डेटा प्रोसेसिंग के लिए छूट

राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर डेटा संसाधित करने की अनुमति देने से अत्यधिक डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और प्रतिधारण हो सकता है, जो संभावित रूप से व्यक्तियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। यदि आवश्यक और आनुपातिक रूप से इसे सख्ती से सीमित नहीं किया गया तो ऐसी व्यापक छूटों के परिणामस्वरूप गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है।

प्रसंस्करण जोखिमों पर विनियमन का अभाव

विधेयक व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिमों को संबोधित करने में विफल है। इन जोखिमों को कम करने पर स्पष्ट विनियमन के बिना, व्यक्तियों के डेटा का दुरुपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे संभावित नुकसान हो सकता है।

डेटा प्रिंसिपलों के लिए सीमित अधिकार

डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भूल जाने का अधिकार शामिल नहीं है, डेटा प्रिंसिपलों के पास उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण की सीमाएं हैं। इन अधिकारों की अनुपस्थिति व्यक्तियों की ऑनलाइन उपस्थिति को प्रबंधित करने और विभिन्न सेवाओं में उनकी जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है।

अन्य देशों में डेटा स्थानांतरण

जबकि विधेयक भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है, यह केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट देशों में स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है। यह दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि हस्तांतरित डेटा प्राप्तकर्ता देशों में पर्याप्त डेटा सुरक्षा मानकों के अधीन है। हस्तांतरित व्यक्तिगत डेटा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के लिए विदेशी डेटा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए एक संपूर्ण मूल्यांकन तंत्र आवश्यक है।

डेटा संरक्षण बोर्ड की संरचना और कार्यकाल

प्रस्तावित संरचना जहां डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों को पुनर्नियुक्ति की पात्रता के साथ दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है, वह बोर्ड की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। अल्पावधि और पुनर्नियुक्ति की संभावना बोर्ड के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, जिससे इसकी स्वतंत्र रूप से कार्य करने और मजबूत डेटा सुरक्षा प्रवर्तन सुनिश्चित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

ये प्रमुख मुद्दे विधेयक पर सावधानीपूर्वक विचार करने और संभावित संशोधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गोपनीयता अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा करता है, व्यापक डेटा सुरक्षा प्रदान करता है, और एक स्वतंत्र और प्रभावी नियामक प्राधिकरण स्थापित करता है

न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ और अन्य (2017) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को रेखांकित किया, यह देखते हुए कि गोपनीयता पर किसी भी उल्लंघन को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

अगस्त 2023 में भारत की संसद द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का अधिनियमन देश में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून डेटा विश्वासियों को व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने, डेटा उल्लंघनों और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक और तकनीकी सुरक्षा उपायों को लागू करने का आदेश देता है।अधिनियम की आधारशिला सहमति पर जोर देना है। यह निर्धारित करता है कि व्यक्तिगत डेटा केवल संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद ही एकत्र, संग्रहीत और संसाधित किया जा सकता है। यह प्रावधान व्यक्तियों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता अधिकारों के वैश्विक मानकों के अनुरूप, अपने व्यक्तिगत डेटा पर अधिक नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। इसके अलावा, व्यक्तियों को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार दिया जाता है, जिससे उनके

© 2024 अभिषेक यादव. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

डेटा को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इस पर सुरक्षा और स्वायत्तता की एक अतिरिक्त परत प्रदान की जाती है।यह अधिनियम भारत में डेटा सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल नवाचार और आर्थिक विकास की जरूरतों को समायोजित करते हुए व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा की जाए।

व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब यह है कि सरकार या किसी व्यक्ति की गोपनीयता को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा प्रतिबंध कानून द्वारा समर्थित है, एक वैध उद्देश्य से उचित है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और प्रतिबंध की आवश्यकता के लिए आनुपातिक है। इस ढांचे का उद्देश्य विशिष्ट, उचित मामलों में उचित प्रतिबंधों की अनुमति देते हुए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है।

निष्कर्ष

निजता के अधिकार की मान्यता और सुरक्षा बढ़ती डिजिटल और परस्पर जुड़ी दुनिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संरक्षण के लिए मौलिक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) में ऐतिहासिक फैसले ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के अभिन्न अंग, संवैधानिक अधिकार के रूप में गोपनीयता के महत्व को रेखांकित किया। इस फैसले ने एक मिसाल कायम की, जिसमें पुष्टि की गई कि गोपनीयता एक विशिष्ट चिंता नहीं है बल्कि एक सार्वभौमिक अधिकार है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वायत्तता के सार को रेखांकित करता है।

निजता के अधिकार पर निष्कर्ष राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा व्यक्तियों को अनुचित निगरानी और घुसपैठ से बचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है । हालाँकि, यह भी स्वीकार करता है कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और जनता के सामान्य कल्याण जैसे वैध राज्य हितों के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, बशर्ते ये प्रतिबंध आनुपातिक, आवश्यक और कानूनी रूप से उचित हों।

आगे बढ़ते हुए, चुनौती गोपनीयता सुनिश्चित करने और वैध राज्य हितों को सक्षम करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में है। इसमें डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचे और तंत्र बनाना शामिल है जो तकनीकी प्रगति और विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों के अनुकूल हों। निजता के अधिकार के लिए राज्य और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। निष्कर्षतः, निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला के रूप में खड़ा है, जिसके लिए उभरती चुनौतियों के सामने सतर्क सुरक्षा और निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता को संरक्षित करता है बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज के सामूहिक मूल्यों को भी कायम रखता है, जिससे कानूनों और नीतियों के लिए डिजिटल युग में इसके मौलिक महत्व को प्रतिबिंबित करना अनिवार्य हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. The Hindu. July 29, 2017.
2. PUCL vs Union of India. AIR 1997 SC 568 / (1997) 1 SCC.
3. Governance Now. July 1-15, 2016.
4. India. Stakeholder Report, Universal Periodic Review, 27th Session on "The Right to Privacy in India".
5. Mainstream Weekly. Vol LV No. 37. September 2, 2017.
6. India Today. [Internet]. [cited 2024 Feb 1]. Available from: http://indiatoday.intoday.in/story/right-to-privacy-fundamental-right-parliament/1/1032794.html
7. Indian Express. August 24, 2017.
8. OneIndia. [Internet]. [cited 2024 Jan 1]. Available from: http://www.oneindia.com/india/how-other-countries-look-at-right-to-privacy-2528810.html
9. The Times of India. August 25, 2017.
10. In 2012, Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) filed a petition in the Supreme Court challenging the constitutionality of Aadhaar on the grounds that it violates the Right to Privacy.
11. The Hindu. August 24, 2017.
12. Hindustan Times. August 08, 2017.
13. Supreme Court of India. [Internet]. 2012. [cited 2024 Feb 5]. Available from: supremecourtofindia.nic.in/supremecourt/2012/35071/35071_2012_judgement_24-Aug-2017.pdf
14. The Hindu. August 24, 2017.
15. Ministry of Electronics and Information Technology, India. [Internet]. [cited 2024 Feb 1]. Available from: https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Digital
16. Press Information Bureau, Government of India. [Internet]. [cited 2024 Jan 1]. Available from: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage
17. Times of India Blogs. [Internet]. [cited 2024 Jan 10]. Available from: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/niveditas-musings-on-tech-policy/the-digital-personal-data-protection-act-2023-some-relief-but-many-questions/
18. Supreme Court of India. [Internet]. 2012. [cited 2024 Feb 5]. Available from: https://main.sci.gov.in/supremecourt/2012/35071/35071_2012_Judgement_24-Aug-2017.pdf

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

.

© 2024 अभिषेक यादव. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/